

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल-01-14/2013

पटना, दिनांक :-

डा० गीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-25.07.2026 से 13.08.2026 (कुल-20 दिन) तक की अवधि जो विदेश अवकाश के रूप में व्यतीत की गई है, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

-विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-

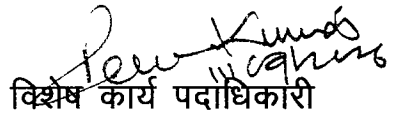
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 17/ एल-01-14/2013 - 1161/17) पटना, दिनांक :- 11.09.26

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० गीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-

संयुक्त सचिव

21/8